सं:11031/01/2014/जल-II

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रलाय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वॉ तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कांपलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता-

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीश गढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, राजस्थान, तमिल नाडु और पश्चिमी बंगाल

विषय:- विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण स्वच्छता परियोजना भाग लेने के लिए राज्य सरकारों से सहमति।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17/10/2014 को देखे। सरकार ने स्वच्छता कवरेज वाले राज्यों में लागू किए जाने वाली स्वच्छता परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श पहले ही प्रारंभ कर दिया है। यह परियो जना लक्षित राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी।

इस परियोजना को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के माध्यम से लागू करने का प्रस्ताव है और इसमें निम्नलिखित कार्यक्रम संबंधी तत्व होंगे:-

क. निवेश सहयोग

ख. तकनीकी सहायता एवं क्षमता सहयोग

ग. परिणाम उपाय

2. परियोजना में निम्नलिखित को भी शामिल करने का प्रस्ताव है:

क. संवितरण-संबद्ध संकेतक

ख. कार्यक्रम कार्ययोजना

ग. स्वतंत्र सत्यापन पद्धति(तंत्र)

घ. आईईसी, क्षमता निर्माण एवं फ्रेमवर्क को लागू करने को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता।

अत: यह कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान(ग्रा.) को, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर गतिविधियों में, पूरा करने में सहयोग करेगा और यदि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमैंट जैसे हार्डवेयर में अंतर को भरने में, यदि आवश्यक हो तो, उसे भी पूरा करने में सहयोग करेगा।

3. फंड का विवरण स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से किया जाएगा और केन्द्र एवं राज्यों के बीच बंटबारे का तरीका स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। यह परियोजना परिणाम (आर के लिए) उपकरण के लिए कार्यक्रम का अनुसरण करेगी जो समयबद्ध तरीके से परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को अपनाने पर ध्यान देती है।

4. इस परियोजना में भाग लेने संबंधी आपके राज्य भी यह प्रारंभिक उत्सुकता अधोहस्ताक्षरी को संबोधित पत्र द्वारा इस मंत्रालय के पास दिनांक 27/10/2014 तक पहुंच जाए। राज्यों की अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति पर विश्व बैंक के साथ आगे बढ़ने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाने वाले प्रारंभिक कान्सेप्ट नोट में राज्य को शामिल किया जाएगा।

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)

निदेशक(एसबीएम-जी)